

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- वि०प्रा०/कौ० -14/2024

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- जिला विज्ञान केन्द्र, धनबाद के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि ₹0 10,62,77,000/- (₹0 दस करोड़ बासठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में 08 जिलों यथा - लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका एवं पलामू में जिला विज्ञान केन्द्रों को नये सिरे से विकसित करने की कार्यवाई की जा रही है। इन जिला विज्ञान केन्द्रों में विज्ञान के सिद्धांतों को विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शो/उपकरणों के माध्यम से अत्यन्त ही सरल ढंग से समझाया जायेगा, जिससे छात्र-छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने एवं वैज्ञानिक सोच बढ़ाने में सहायक होगा। उक्त विज्ञान केन्द्रों को दो भागों में विकसित किया जाना है - क. असैनिक कार्य, ख. वैज्ञानिक प्रदर्शो के अधिष्ठापन का कार्य।

दिनांक 27.09.2023 को झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के कार्यकारणी समिति की बैठक में जिला विज्ञान केन्द्रों के असैनिक कार्य किसी निर्माण एजेन्सी/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से तथा वैज्ञानिक प्रदर्शो के अधिष्ठापन का कार्य राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) कोलकाता से कराने के विन्दु पर स्वीकृति दी गयी है। उक्त के क्रम में परिषद् का पत्रांक 245 दिनांक 07.11.2023 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, धनबाद के असैनिक कार्य संबंधी JSBCCL से कराने हेतु DPR उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया। यह कार्य ISM, धनबाद के सामने स्थित सदर अंचल के मौजा-हिरापुर, खाता नं०-142, प्लॉट नं०-1318, कुल रकबा-7.64 एकड़ भूमि पर किया जाना है।

तत्पश्चात् कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1219 (नि०), दिनांक 06.06.2024 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, धनबाद को विकसित करने हेतु तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 553/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25, Page No. 245 दिनांक 30.05.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि ₹0 10,62,77,000/- (₹0 दस करोड़ बासठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

क्र०	अवयव के नाम	राशि
1	Main Building	4,25,32,626.00
2	Toilet Block	29,37,916.00
3	Ticket Counter with Guard Shed	15,93,267.00
4	Dismantling of Existing Building	6,13,091.00
5.a	Road with Path Way and parking with leveling	1,10,52,090.00
5.b	Boundary Wall	47,77,261.00
5.c	Main Gate with Guard Room	8,71,339.00
5.d	Platform Type 1	5,38,982.00
5.e	Platform Type 2	5,93,453.00
5.f	Telescope Platform	6,81,127.00
5.g	Flag Hosting Platform	1,56,422.00
5.h	Fabricated Tree	5,35,681.00
5.i	Horticulture	22,66,615.00
5.j	Children's Play Area Furnishing	51,85,002.00
5.k	Irrigation	6,44,101.00

5.l	External Electrification	56,26,779.00
5.m	CCTV	19,96,486.00
6	Furniture (Building)	16,24,432.00
	Total Cost (A)	8,42,26,670.00
7	Add GST @ 18% of 'A'	1,51,60,801.00
8	Total Amount with GST (B)	9,93,87,471.00
9	Add Labour Cess @ 1% of 'B'	9,93,875.00
10	Add JSBCCCL Charge of 'A'	58,95,867.00
11	Grand Total (8+9+10)	10,62,77,213.00
	Say	10,62,77,000.00
(रु0 दस करोड़ बासठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र		

अतः उक्त के आलोक में जिला विज्ञान केन्द्र, धनबाद के निर्माण कार्य के लिए कुल प्राक्कलित राशि रु0 10,62,77,000/- (रु0 दस करोड़ बासठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (क). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-004-अनुसंधान / उपशीर्ष-41-झारखंड कौंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- **43S22030000441010679**)
- (ख). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-41-झारखंड कौंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- **43S22030079641010679**)
- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं परिषद् के PL खाते में संधारित राशि से आवश्यकतानुसार निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
- यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में निष्पादित की जायेगी तथा कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 11 माह होगी साथ ही कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।
- झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
- स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
- निदेशक, NCSM, कोलकाता का पत्रांक 313 दिनांक 31.05.2024 द्वारा आठ जिला विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रदर्श संबंधी प्राक्कलन विस्तृत विवरणी के साथ उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुसार जिला विज्ञान केन्द्र, धनबाद की निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात केन्द्र में स्थापित की जानेवाली मुख्य वैज्ञानिक प्रदर्शों की विवरणी निम्नवत् होगी -
 - Fun Science Gallery - Acrobatic Stick, All Road Lead to Rome, Anamorphosis, Area of a Circle, Breathing Square, Scanimation, etc.
 - Science Park-Action and Reaction, Cone runs uphill, Lift yourself, Swing in a pendulum, Roller Coaster, Tug of war, Loop the loop, etc.
 - Telescope
 - Innovation Hub

10. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के संबंध में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायगी।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ० -14/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ० -14/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ० -14/2024/12/योजना

/राँची, दिनांक:- 31.07.2024

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/उपायुक्त, धनबाद/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/अंचल अधिकारी, धनबाद/बजट पदाधिकारी/जोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.24

सरकार के प्रधान सचिव